

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक-सीआरओ/राआम/2020-21/190

दिनांक : 10-11-2020

कार्यालय आदेश

नीलामी की प्रक्रिया से सम्बन्धित जारी आदेश क्रमांक-एफ2(3) लागत/1034/650 दिनांक 28.01.2014 एवम् ई-ऑक्शन (अग्रेषित) हेतु जारी आदेश क्रमांक-सी.आर.ओ./रा.आ.मं./2020-2021/107 दिनांक 03.09.2020 के अनुसार राशि 50.00 लाख रुपये तक की बिडों को नीलामी समिति की अनुशंषा के आधार पर स्वीकृत करने हेतु संबंधित वृत्त के उप आवासन आयुक्त अधिकृत हैं।

दिनांक 27.10.2020 को सम्पन्न हुई दैनिक बैठक के निर्णयानुसार ई-सबमिशन में "अपनी दुकान अपना व्यवसाय" योजना के अन्तर्गत विक्रय की गयी सम्पत्तियों की सभी बिडों को स्वीकृत करने हेतु संबंधित उप आवासन आयुक्त को अधिकृत किया जाता है।

संबंधित उप आवासन आयुक्त नीलामी समिति की अनुशंषा के आधार पर संबंधित आवासीय अभियन्ता की टिप्पणी पश्चात् मण्डल से जारी आदेश क्रमांक-सी.आर.ओ./रा.आ.मं./2019-2020/346 दिनांक 02.03.2020 के अनुसार गुण अवगुण के आधार पर स्वविवेक से निर्णय करेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय, रा.आ.मं., जयपुर।
3. निजी सचिव-वित्तीय सलाहकार/सचिव राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जोधपुर।
6. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-----, रा.आ.मं.,-----।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.मं., जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की बेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-----रा.आ.मं.,-----।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी-----, रा.आ.मं., जयपुर।
11. सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-----राजस्थान आवासन मण्डल,-----।
12. लेखाधिकारी, वृत्त-----, रा.आ.मं.,-----।
13. कार्यालय आदेश/रक्षित पत्रावली।


आवासन आयुक्त